an>

title: Regarding levying of alleged illegal toll tax on a bridge along Uttar Pradesh and Haryana border.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रश्न केवल मेरे लोक सभा क्षेत्र तक सीमित है। वहां 135 किलोमीटर लम्बा सीमा विवाद है, एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है और 135 किलोमीटर मेरे लोक सभा क्षेत्र का हिस्सा बनता है। वहां तीन मार्ग हैं - पानीपत-खटीमा मार्ग, करनाल-मेरठ मार्ग और अम्बाला-सहारनपुर मार्ग। इन तीनों मार्गों पर टोल टैक्स लगाया हुआ है। पिछले पचास सालों से ये मार्ग बने हुए हैं और पुल भी पचास सालों से बने हुए हैं। जो कीमत कभी आई होगी, वह वसूल हो चुकी। वहां कोई नई सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इन तीनों मार्गों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है और यह भी संभव है कि सरकार के द्वारा वह टोल टैक्स न लगाया गया हो, बल्कि कोई माफिया ही वहां पर पैसे वसूल कर रहा हो।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां तुरंत टोल टैक्स को समाप्त किया जाए। इसी के साथ-साथ सीमा विवाद भी आजकल ऐसा बढ़ गया है कि मेरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा में कभी दीक्षित अवार्ड बना था, जो कभी भारत सरकार के गृह मंत्री होते थे, उनकी अध्यक्षता में वह अवार्ड दिया गया था और सीमा निर्धारित कर दी गई थी। मैं चाहता हूं कि जो दीक्षित अवार्ड है, जिसके अनुसार सीमा निर्धारित की गई है, जिस प्रदेश की जमीन जहां पर है, उस प्रदेश के किसानों को वहां पर खेती करने का अवसर मिले और उन्हें सुरक्षा मिले। धन्यवाद।